

फा.सं.पीसीसीआईटी(छूट)/35(1)(iia) के अंतर्गत अधिसूचना/05/2026/3975

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट)

अधिसूचना संख्या 05/2026

दिनांक: 23 मार्च, 2026

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iia) के तहत आदेश, जिसे आयकर नियम, 1962 के नियम 5च के साथ पढ़ा जाए।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) (iia) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 के नियम 5च के साथ पठित, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), दिल्ली एतद्वारा कंपनी मेसर्स भारतीय मानव बस्ती संस्थान (पेन: AACCI0088F), जिसका पंजीकृत कार्यालय 197/36, द्वितीय मुख्य मार्ग, बेंगलुरु उत्तर, सदाशिव नगर एस.ओ, बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत-560080 में स्थित है, को 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिए, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iia) के साथ आयकर नियम, 1962 के नियम 5च को पढ़ा जाए, के उद्देश्य से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. यह अधिसूचना, नि.व. 2026-27 से नि.व. 2030-31 तक, पाँच निर्धारण वर्षों (नि.व.) के लिए लागू होगी।

(देबज्योति दास)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट),  
नई दिल्ली

**स्पष्टीकारक ज्ञापन:** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पीपीएस
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभागों के सभी अधिकारियों के बीच प्रसारित करने के अनुरोध सहित।
3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-I एवं II/मीडिया समन्वयक एवं सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता।
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (ऑडिट)/डीआईटी (विग.)/एडीजी (प्रणाली) 1,2,3,4,5/सीआईटी (आईटीबीए), सीआईटी (सीपीसी), बंगलुरु, सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद।
5. एडीजी (पीआर, पीपी एवं ओएल) को अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित।
6. आयकर आयुक्त (छूट), बंगलुरु
7. सीबीडीटी के टीपीएल एवं आईटीए प्रभाग को।
8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
9. वेब प्रबंधक को वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" पर होस्टिंग हेतु।
10. डाटा बेस प्रकोष्ठ को [www.irs-officeronline.gov.in](http://www.irs-officeronline.gov.in) एवं डीजी सिस्टम कॉर्नर पर अपलोड करने हेतु।
11. आईटीबीए प्रकाशक को आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयकर अधिकारी (मुख्या.) (छूट) -1  
पीसीसीआईटी (छूट), नई दिल्ली का कार्यालय

सतबीर सिंह

आयकर अधिकारी (मुख्या.) (छूट) - 1

कमरा नं. 2508 ई - 2 ब्लॉक, प्रत्यक्ष कर भवन, सिविक सेंटर,

नई दिल्ली - 110002